भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4228

मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तेलंगाना में लॉजिस्टिक पार्क और निर्यात संवर्धन क्षेत्र

4228. श्री बलराम नाइक पोरिकाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना में नए लॉजिस्टिक पार्क या निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित करने की कोई योजना या प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, उनके स्थान, उद्देश्य और अनुमानित लागत क्या हैं;

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति, यह स्पष्ट करते हुए कि क्या उन्हें स्वीकृत, अस्वीकृत किया गया है या अनुमोदन के लिए लंबित हैं, क्या है, और

(घ) तेलंगाना में व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए इन प्रस्तावों के अनुमोदन और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या क्या योजना बनाई गई है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): सरकार ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) की स्थापना के लिए देश भर में विभिन्न स्थानों को अनुमोदन प्रदान किया है। तेलंगाना व्यापार संवर्धन निगम (टीजीटीपीसी) ने राज्य में एमएमएलपी के विकास के लिए तेलंगाना के मेडक जिले के मनोहराबाद मंडल के पार्कीबांडा गाँव में लगभग 300 एकड़ के क्षेत्रफल वाले एक स्थल को चिह्नित किया है। उक्त एमएमएलपी की कुल अनुमानित परियोजना लागत लगभग 1775 करोड़ रुपये है।

इस एमएमएलपी की स्थापना का उद्देश्य एक ऐसे एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब का विकास करना है, जो माल ढुलाई में वृद्धि करे, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करे, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करे और वेयरहाउसिंग तथा मूल्यवर्धित सेवाओं के माध्यम से क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करे।

एमएमएलपी के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और इसकी स्थापना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड, तेलंगाना राज्य व्यापार संवर्धन निगम लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना का मूल्यांकन भारत सरकार के नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा किया गया है।

प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से भू-स्थानिक डिजिटल प्रौद्योगिकी, और प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल का उपयोग, योजना बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद कर रहा है।

व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात संवर्धन हेतु प्रभावी साधन के रूप में कार्य करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित किए जा सकते हैं, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग या किसी भी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं के विनिर्माण या सेवाएँ प्रदान करने या दोनों के लिए स्थापित किए जा सकते हैं। वर्तमान में, तेलंगाना राज्य से किसी एसईजेड को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****